

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-3, राज्य कर, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-3, राज्य कर, देहरादून के माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री कलन्त सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एम.के.सिसोदिया, पर्यवेक्षक एवं मो0 सलीम खान, वरि. लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 21.07.2020 से 30.07.2020 तक श्री नविन चन्द्र शंखधर वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1 परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री डी.के. श्रीवास्तव एवं श्री बी.एम. त्रिपाठी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 14.10.2019 से 21.10.2019 तक श्री के. एल. भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2018 से 03/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी एवं व्यय हेतु माह -- से -- तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गई थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2019 से 03/2020 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: - चकराता रोड, जी एम एस रोड (बांयी तरफ), सहारनपुर रोड (दायी तरफ)

(ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत तीन वर्षों में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

(₹ लाख में)

वर्ष	अर्जित राजस्व
2017-18	1429.09
2018-19	1688.00
2019-20	26359.63

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत

हैं:

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना (Plan)		गैर स्थापना (Non Plan)		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना ()	गैर स्थापना ()	आवंटन ()	व्यय ()	आवंटन ()	व्यय ()		
			शून्य					

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष ₹	प्राप्त ₹	व्यय अधिक्य (+)₹	बचत (-)₹
		शून्य			

(iii)इकाई को बजट आवंटन राजस्व प्राप्ति के आधार पर इकाई 'A' श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव, वित्त > आयुक्त कर, वाणिज्य कर> ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर> डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर> सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर> वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-3, राज्य कर, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय

उपायुक्त (कर निर्धारण)-3, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

राजस्व: दैनिक संग्रह नहीं है, विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: आहरण वितरण का कार्य नहीं है, को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

प्रस्तर- 1 : कर का अनारोपण ₹ 18.73 लाख।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : कर का अनारोपण ₹ 15,31 लाख।

प्रस्तर-2 : रू0 8.71 लाख कर का अनारोपण।

प्रस्तर- 3 : कर का अनारोपण रू0 29.50लाख।

प्रस्तर- 4 : कर का ज्यादा लाभ ₹ 7.84 लाख।

प्रस्तर- 5 : अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 6.99 लाख।

प्रस्तर- 6 : आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹ 2.15 एवं अर्थदण्ड ₹ 6.45 लाख।

STAN

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II (अ)

शून्य

भाग-II (ब)

शून्य

भाग 2 "अ"

प्रस्तर- 1 : कर का अनारोपण ₹ 18.73 लाख।

केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के Section-2 के comments के अनुसार "Sale price— Meaning of.—By reason of the provisions of the Cement Control Order which governed the transactions of sale of cement entered into by assessee with the purchasers, the amount of freight formed part of the "sale-price" within the meaning of the first part of the definition of that term in Sec.2(h) of the Central Sales-tax Act, 1956, and was includible in the turnover of assessee.

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा राज्य के भीतर किये गए प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर आरोपित किया जायेगा। अधिनियम की धारा- 4(2)(ख)(i)(अ) के अनुसार अनुसूची II(ख) में विनिर्दिष्ट माल पर 5% एवं धारा 4(2)(ख)(i)(ई) के अनुसार किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल पर 13.5% की दर से कर देय है। जिसमे उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 824/2016/13(120)/XXVII(8)/2016 दिनांक 04.10.2016 द्वारा 01 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गयी थी।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.) - 3, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि

(i) व्यौहारी सर्वश्री गुप्ता इंडस्ट्रीज, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 16.01.2020 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार सीमेंट पोल का निर्माण कर बिक्री का है। व्यौहारी के कर निर्धारण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा केन्द्रीय बिक्री ₹ 5,49,40,000.00 पर रियायती दर 1% की दर से ₹ 5,49,400.00 का कर आरोपित किया गया था।

परन्तु, पत्रावली की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा फॉर्म-सी के विरुद्ध ₹ 6,20,33,750/- की कर सहित बिक्री की गयी थी जिसके फॉर्म-सी पत्रावली पर उपलब्ध थे। इस प्रकार अंतरीय बिक्री ₹ 64,73,413/- [(₹ 6,20,33,750*99%) - ₹ 5,49,40,000] पर 1% की दर से ₹ 64,734/- कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹ 5,49,40,000.00 की केन्द्रीय बिक्री फॉर्म-सी के सापेक्ष की गयी है। व्यापारी द्वारा दाखिल फॉर्म-सी में क्रेता व्यापारियों द्वारा वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त 01 प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर व माल भाड़ा कुल ₹ 70,93,750.00 जोड़ते हुये कुल ₹ 6,20,33,750.00 (₹ 5,49,40,000.00 + ₹ 70,93,750.00) के फॉर्म-सी जारी किए गए हैं। साक्ष्य स्वरूप एक फॉर्म-सी एवं उसमे अंकित समस्त बिलों की छायाप्रतियाँ लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी जा रही हैं। चूंकि कर निर्धारण में समस्त बिक्री मूल्य पर

कर आरोपित किया गया है और माल-भाड़ा बिलों पर पृथक से चार्ज होने के कारण उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर व माल भाड़ा पर कोई करदेयता नहीं बनती है।

इकाई द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में चतुर्थ त्रैमास के फॉर्म-सी (सं. 9021827014956) का विस्तृत विवरण बिलों सहित उपलब्ध कराया गया। उक्त की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा क्रेता को जारी किये गये बीजकों में ₹ 1,82,222/- मूल्य माल के प्रत्येक बीजक पर 1% की दर से सीएसटी एवं 12.5% की दर से एक्साइज़ ड्यूटी चार्ज की गयी थी। उपलब्ध कराये गए फॉर्म-सी के विस्तृत विवरण को नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

	Basic Value	Excise duty @ 12.5%	Value after excise duty	CST @ 1%	Total value	Freight	Value of Form-C	freight % h=(f*100/a)
	a	B	C	D	E	F	g	h
single Form 'C' provided by unit	12755540	1594443	14349983	143500	14493482	1795000	16288482	14
All Form 'C'	54940000	6867500	61807500	618075	62425575	8739581	71165156	frieght calculated at the rate of 14%

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा फॉर्म-सी के उपलब्ध कराये गए विवरण अनुसार माल के मूल्य ₹ 1,27,55,540.00 पर एक्साइज़ ड्यूटी, सीएसटी व भाड़ा सम्मिलित करते हुये फॉर्म का कुल मूल्य ₹ 1,62,88,482.00 आंकलित होता है एवं क्रेता द्वारा ₹ 1,62,88,500.00 मूल्य का फॉर्म-सी व्योहारी को उपलब्ध कराया था। अतः इकाई के उत्तर के अनुसार समस्त माल का बेसिक मूल्य ₹ 5,49,40,000.00 मानते हुये उपरोक्तानुसार गणना करने पर फॉर्म-सी का कुल मूल्य ₹ 7,11,65,156.00 आंगणित होता है जबकि व्यापारी द्वारा केवल ₹ 6,20,33,750.00 के ही फॉर्म-सी उपलब्ध कराये थे। इससे स्पष्ट है कि व्योहारी द्वारा ₹ 91,31,406.00 {71165156 - 62033750} मूल्य की बिक्री के फॉर्म-सी उपलब्ध नहीं कराये।

इसके अतिरिक्त व्यापारी द्वारा माल भाड़ा क्रेता से बिलों में चार्ज किया गया था अतः प्रारम्भ में वर्णित केन्द्रीय विक्रय अधिनियम, 1956 के स्पष्टीकरण अनुसार भाड़े को माल के बेसिक मूल्य में

सम्मिलित करते हुये माल का मूल्य निर्धारित करना था जो कि नहीं किया गया था। अतः व्यापारी द्वारा बिना फॉर्म-सी के की गयी अंतरीय बिक्री ₹ 91,31,406.00 पर अवर्गीकृत माल हेतु कर की दर 14.5 प्रतिशत की दर से ₹ 13,24,054.00 का कर आरोपणीय होगा।

(ii) व्यौहारी सर्वश्री शान्ति एंटरप्राइजेज़, मोहनी रोड (टिन-05000765355), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 27.12.2019 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार फर्नीचर, कपड़ा आदि की खरीद बिक्री का है। व्यौहारी के कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 13.5% एवं 14.5% के माल क्रमशः ₹ 13102303.00 एवं 14663536.00 जिस पर सीएसटी 2% जोड़कर कुल आयातित खरीद ₹ 28321161.00 की गयी थी, में से ₹ 507400.00 की माल वापसी करते हुये शुद्ध आयातित खरीद ₹ 27813761.00 थी। इस आयातित खरीद के संबंध में पत्रावली पर फॉर्म-सी न पाये जाने के कारण लेखापरीक्षा में उक्त आयातित माल का मूल्य 13.5% एवं 14.5% की दर से कुल ₹ 31660862.00 पाया गया। इस खरीद में से ₹ 507400.00 की माल वापसी कम करने उपरान्त ₹ 31153462.00 की खरीद पायी गयी। इस प्रकार कर निर्धारण आदेश के अनुसार खरीद ₹ 27813761.00 एवं शुद्ध खरीद ₹ 31153462.00 के अन्तर ₹ 3339701.00 के विक्रय पर 14.5% कर की दर से ₹ 484256.00 कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में क्रेता को जारी फॉर्म-सी की सूची उपलब्ध करायी गयी। सूची की जाँच पर पाया गया कि 14.5% की दर वाले माल मूल्य ₹ 46,78,912.00 के समर्थन में कोई फॉर्म-सी प्राप्त नहीं हुआ था। अतः फॉर्म-सी के आभाव में खरीद की स्थिति निम्नवत होगी:

Purchase of 14.5% items against form-C	Purchase for which from-C available	Purchase for which from-C not available	value of items @14.5%	Value shown in purchase @ 2%	Difference in Value
14663536	9984624	4678912	5357354	4772492	584862

अतः क्रय माल का मूल्य उपरोक्तानुसार ₹ 584862.00 कम आँके जाने के परिणस्वरूप माल के विक्रय पर कर की दर 14.5% की दर से ₹ 84805.00 के कर का आरोपण नहीं किया गया था।

आगे, इकाई द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-सी के विवरण अनुसार व्यापारी द्वारा सीएसटी सहित ₹ 2,83,21,161.00 की खरीद की गयी थी जबकि, कर निर्धारण आदेश में ₹ 507400.00 की माल वापसी कम करने के उपरान्त ₹ 2,78,13,761.00 खरीद को मान्यता देते हुये तदनुसार कर निर्धारण किया गया

था। इस प्रकार खरीद में सीएसटी को नहीं जोड़ा गया था। उक्त खरीद में सीएसटी जोड़ते हुये खरीद की स्थिति निम्न प्रकार होगी:

Purchase of 13.5% & 14.5% items against form-C	CST @ 2%	Total Purchase value	value determined in ass. Order	Difference in Value
23086927.70	461738.55	23548666.25	23086927.70	461738.55

अतः क्रय माल का मूल्य उपरोक्तानुसार ₹ 461738.55 कम आँके जाने के परिणामस्वरूप माल के विक्रय पर कर की दर 14.5% की दर से ₹ 66952.00 के कर का आरोपण नहीं किया गया था।

इस प्रकार उक्त प्रकरण में कुल ₹ 151757/- (₹ 84805 + ₹ 66952) कर का आरोपण नहीं किया गया था।

(iii) व्यौहारी सर्वश्री अवनी ट्रेडर्स, डालनवाला, (टिन-05014749360), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 26.12.2019 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार सीमेंट, टाइल्स, पेन्ट, मार्बल, रोड़ी, बजरी, पीवीसी आदि की खरीद बिक्री का है। व्यौहारी के कर निर्धारण पत्रावली एवं अन्तिम कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹ 11,00,000.00 की ओल्ड मशीनरी का आयात किया जाना दर्शाया गया है। परन्तु इकाई द्वारा ओल्ड मशीनरी के आयात सम्बन्धी विवरण में मशीनरी का मूल्य ₹ 16,10,000.00 पाया गया। इस संबंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि ₹ 16,10,000.00 की ओल्ड मशीनरी के संबंध में प्लान्ट एवं मशीनरी की सूची उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सूची के रूप में फॉर्म- 16 की प्रति उपलब्ध कराई गयी थी इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा व्यापारी की बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे कि फिक्स एसेट की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी। अतः उक्त कैपिटल गुड्स की बिक्री ₹ 16,10,000.00 पर 14.5% की दर से ₹ 2,49,550.00 का कर आरोपणीय होगा।

(iv) व्यौहारी सर्वश्री आदिनाथ स्टील, सुभाषनगर, (टिन-05016085923), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 24.01.2020 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार टीएमटी बार, वायर आदि की खरीद बिक्री का है। व्यौहारी के कर निर्धारण पत्रावली एवं अन्तिम कर निर्धारण आदेश की जाँच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा 24 फॉर्म-16 का प्रयोग करते हुये ₹ 1,22,86,502.00 की आयातित खरीद को मान्यता प्रदान की गयी थी। परन्तु, लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यापारी द्वारा 25 फॉर्म-16 का प्रयोग करते हुये ₹ 1,33,06569.00 का आयात किया गया था। इस प्रकार खरीद में ₹ 1020067.00 का अन्तर पाया गया जिसकी खरीद पर कर की दर 14.5% की दर से ₹ 1,47,909.00 का कर आरोपणीय था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि उक्त अंतरीय राशि ₹ 1020067.00 का माल "not for sale" गुड्स यथा ब्रौशर एवं कम्पनी प्रमोशनल गुड्स का आयात किया है, जिसकी सूची एवं साक्ष्य स्वरूप ब्रौशर कम्पनी प्रमोशनल गुड्स के बिलों की छायाप्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी।

इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची एवं बिलों की जाँच में पाया गया कि ₹ 1020067.00 की आयातित खरीद माल के मूल्य एवं सीएसटी सहित दर्शायी गयी थी। इससे स्पष्ट है कि उक्त खरीद प्रमोशनल गुड्स न हो कर सामान्य आयातित खरीद थी जिसका विक्रय किया गया था एवं जिस पर कर की दर 14.5% की दर से ₹ 147909.00 का कर आरोपणीय था।

अतः धनराशि ₹ 18,73,270.00 के कर के अनारोपण के प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्चधिकारियों के संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग दो ब

प्रस्तर - 1 कर का अनारोपण ₹ 15.31 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक बिक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा नियम 11 (1) के अनुसार कर के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी अपने आवर्त की सार्वधिक विवरणीयाँ दाखिल करेगा। पुनः धारा 58(1) v के अनुसार इस आध्यादेश के अधीन आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने पर रू0 दस हजार या अन्तर्ग्रस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो से अनधिक धनराशि के अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर-निर्धारण) -3 राज्य कर देहरादून, फर्म यूनिवर्सल आयरन स्टोर धामावाला देहरादून टिन सं0 05011059092 वर्ष 2015-16 की लेखापरीक्षा के दौरान अंतिम कर निर्धारण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि अंतिम कर निर्धारण आदेश में वर्ष के दौरान प्रान्तीय खरीद रू0 6,48,37,858.31 एवं आयातित खरीद रू0 8,33,49,559.00 कुल खरीद रू0 148187416.00 को मान्यता प्रदान की गयी। कर निर्धारण आदेश मे इसे व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये व्यापारिक स्थिति अनुसार प्रदर्शित किया गया है। आगे जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा दाखिल chartered Accountants द्वारा दिनांक 15 सितम्बर 2016 को व्यापारी के सत्यापित किया गये लाभ हानि खाते में व्यापारिक लेखा निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है।

Particular	Amount	Particular	Amount
प्रारम्भिक रहतिया	13988616.00	विक्रय	165525427.00
खरीद	155260636.00	अन्तिम रहतियाँ	188869188.00
डायेक्ट एक्सपेन्सेस	4267643.00		
सकल लाभ	10877719.00		
योग	184394615.00	योग	184394615.00

उपरोक्तानुसार ब्यौहारी की मूल खरीद रू0 155260636.00 तथा उक्त खरीद पर अन्य व्यय रू0 4267643.00 कुल खरीद मूल्य रू0 15,95,28,279.00 प्रदर्शित है, जो कर निर्धारण आदेश की कुल खरीद रू0 148187416.00 से रू0 1,13,40,863.00 अधिक हैं, जिस पर 13.5 प्रतिशत की दर से रू0 15,31,016.00 कर आरोपित नहीं किया गया।

इंगित किये जाने पर ईकाई द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि ब्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में 05 प्रतिशत की दर से कुल रू0 2,52,50,768.75 की एवं 13.5 प्रतिशत की दर से कुल रू0 39,58,7087.56 की प्रान्तीय खरीद की गयी है, जिस पर कुल रू0 66,06,795.85 कर (आई0टी0सी0) एवं प्रान्तीय खरीद रू0 466425.00 भाडा जोडते हुए कुल प्रान्तीय खरीद रू0 7,19,11,076.85 एवं कुल आयातित खरीद रू0 8,33,49,559.92 अर्थात कुल रू0 15,52,60636.77 की घोषित है। सम्प्रेक्षा दल द्वारा अन्तरीय धनराशि ₹ 70,73,219/- उल्लिखित की गयी है। उक्त धनराशि में व्यापारी द्वारा संगत

वर्ष में प्रान्तीय क्रय पर अदा किया गया कर (आई.टी.सी.) ₹66,06,795/- एवं प्रान्तीय क्रय पर अदा किया गया भाड़ा ₹ 4,66,425/- अर्थात् कुल ₹ 70,73,219/- को खरीद मानकर करदेयता का उल्लेख किया गया है साक्ष्य स्वरूप ट्रेडिंग खाता की छायाप्रति संलग्न है।

लेखापरीक्षा में विभागीय उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित किये व्यापारिक लेखों में दर्शायी गयी खरीद रू0 155260636.77 एवं डायेक्ट एक्सपेन्सेस रू0 4267643.00 में खरीद पर अदा किया गया कर सम्मिलित है या नहीं इसे स्पष्ट करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

अतः रू0 15,31,016.00 के कर का अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर- 2 रू0 8.71 लाख कर का अनारोपण।

उत्तराखण्ड शासन के सर्कुलर संख्या 243/2016/14(120)/xxvii(8)/06 Dated 21/6/2016 अविभाजित सिविल संकर्म संविदाकारो के संबंध में एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने में दिये गये निर्देश अनुसार बिन्दु सं0 5 में कहा गया है कि संविदाकार को अनुबन्ध वार आयातित माल के प्रयोग से सम्बन्धित विवरण वर्ष के अन्त में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक विवरणी के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि संविदाकार जॉच के दौरान आयतित माल का प्रयोग अनुबन्ध के निस्तारण में प्रयोज्य किया जाना प्रमाणित नहीं कर पाता है, तो ऐसे आयातित माल की खरीद पर भाडा तथा अन्य खर्चों को जोडते हुऐ आयी धनराशि पर 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुऐ ऐसे माल की ब्रिकी निर्धारित करके नियमानुसार कर आरोपित किया जायेगा। साथ ही साथ अर्थदण्ड की कार्यवाही भी की जा सकती है।

उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या 2504/लो0नि0-01/03-75(स-10)/2000 दिनांक 25.11.2003 के अनुसार किसी भी संविदाकार को सिविल निर्माण कार्य में पंजीकरण कराना/ होना अनिवार्य है, अन्यथा की दशा में वह सिविल संविदाकार नहीं कहलायेगा।

सिविल संविदाकारो से तात्पर्य ऐसे संविदाकारो से है जो प्रस्तर (क) में उल्लिखित कार्य को करते है।

(क) सिविल कार्य जैसे कि भवनो, पुलो, सडको, बांधो, बैराजो काजवे,उत्पलमार्ग (स्लिपवेज) डायवर्जनो का निर्माण मरम्मत तथा ड्रेनेज व सिवरेज से सम्बन्धित कार्य।

(ख) स्टैक्वर, दरवाजे, खिडकी, फ्रेम, गिल्स शटर्स तथा अन्य इसी प्रकार की वस्तुये यदि वह संविदा स्थल पर बनाकर उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(ग) टाइल, स्लैब, पत्थरो तथा शीट्स आदि का लगाना यदि वह उपरोक्त (क) में प्रयोग की जाये।

(घ) उपरोक्त (क) में अंकित संविदा कार्यों, का विद्युतीकरण तथा प्लम्बिंग से सम्बन्धित सभी कार्य।

कार्यालय उपायुक्त(कर-निर्धारण)- 3 राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा के दौरान फर्म देहरा सेनेटरी स्टोर देहरादून टिन सं0 05000693381 वर्ष 2016-17 की पत्रावली एवं जारी अंतिम कर निर्धारण आदेशो का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में की गयी कुल आयातित खरीद में से रू0 48,13,939.00 लाख की आयातित खरीद एवं

रु0 7359177.00 लाख (8029471.00 लाख मय कर सहित)की प्रान्तीय पंजीकृत व्यापारियों से खरीद वर्क कॉन्ट्रैक्ट में प्रयोग हेतु घोषित की गयी थीं अर्थात कुल रु0 1,28,43,410.00 लाख की आयतित एवं प्रान्तीय खरीद का सिविल संविदा में प्रयोज्य होना बताया गया। संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा संविदा कार्य के अन्तर्गत रु0 2,10,18,593.00 का भुगतान संविदी विभागो से होना बताया गया। संविदाकार द्वारा समाधान योजना का विकल्प नही लेने के परिणाम स्वरूप व्यापारी का कर निर्धारण वैट अधिनियम 2005 की धारा 7(2) के स्थान पर नियमित कर निर्धारण धारा 25 (7) के अन्तर्गत किया गया। नियमित कर निर्धारण में उक्त वर्क कॉन्ट्रैक्ट हेतु खरीदी गयी कुल रु0 12843410.00 की क्रय सामग्री में से रु0 66,83,544.00 पर नियमित कर निर्धारण करते हुऐ कर आरोपित किया गया।

शासन के सर्कुलर/आदेश के अनुसार आयतित खरीद रु0 48,13,939.00 पर 20 प्रतिशत का लाभाश: जोडते हुऐ रु0 57,76,727.00 तथा प्रान्तीय खरीद रु0 7359177.00 कुल रु0 1,31,35,904.00 पर कर का आरोपण किया जाना था। पूर्व में रु0 66,83,544.00 पर कर का आरोपण किया जा चुका था। अत: अन्तरीय धनराशि रु0 64,52,360.00 पर 13.5 प्रतिशत की दर से रु0 8,71,069.00 कर का आरोपण नही किया गया था।

इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि संगत वर्ष में ब्यौहारी द्वारा संविदा कार्य के सापेक्ष प्राप्त कुल भुगतान रु0 2,10,18,593.00 में से केवल लेबर रु0 63,05,578.00 एवं प्रान्तीय खरीद रु0 80,29,471 की धनराशि को घटाते हुऐ कुल रु0 66,83,544.00 कर योग्य टर्नओवर निर्धारित कर कर निर्धारण किया गया हैं। ब्यौहारी के द्वारा संविदा से सम्बन्धित लेबर भुगतान का विधिवत साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण ही उसे वास्तविक लेबर के स्थान पर उक्त शासनादेश के अनुरूप केवल 30 प्रतिशत लेबर का लाभ दिया गया है।

लेखापरीक्षा में विभागीय उत्तर मान्य नही है, क्योकि संविदा से सम्बन्धित साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही थें, ऐसी परिस्थिति में शासनादेश के अनुरूप 30 प्रतिशत लेबर का लाभ एवं प्रान्तीय खरीद रु0 80,29,471.00 पर कर से मुक्ति प्रदान किये जाने का कोई समुचित कारण नही था।

अत: रु0 8,71,069.00 लाख कर का अनारोपण किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

भागदो(ब)

प्रस्तर सं० 3 कर का अनारोपण रू० 29.50 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्य विधित कर अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के अनुसार किसी ब्यौहारी अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गये प्रत्येक बिक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा नियम 11 (1) के अनुसार कर के लिये दायी प्रत्येक ब्यौहारी अपने आवर्त की सार्वदिक विवरणीयाँ दाखिल करेगा। पुनः धारा 58(1) v के अनुसार इस आध्यादेश के अधीन आवर्त की मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करने पर रू० दस हजार या अन्तर्गस्त कर की धनराशि, जो भी अधिक हो से अनधिक धनराशि के अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (कर-निर्धारण) - 3 राज्य कर देहरादून, फर्म कमल ज्वैलर्स धामावाला देहरादून टिन सं० 05015604708 वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा के दौरान अंतिम कर निर्धारण पत्रावली की जाँच में पाया गया कि अंतिम कर निर्धारण आदेश में वर्ष के दौरान आयातित एवं प्रान्तीय खरीद कुल रू० 62,13,55,035.00 को मान्यता प्रदान की गयी। आगे जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा दाखिल फार्म 16 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल खरीद रू० 31,80,41,794.00 तथा जॉब वर्क की धनराशि रू० 29,49,42,629.00 दर्शाया गयी जबकि कर निर्धारण आदेश के अनुसार आयातित खरीद मात्र रू० 31,80,41,794.00 प्रदर्शित है। इस प्रकार धनराशि रू० 29,49,42,629.00 खरीद में प्रदर्शित नहीं है। इस पर 1% की दर से रू० 29,49,426.00 का कर आरोपित नहीं किया गया था।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर ईकाई ने अपने उत्तर में बताया गया कि ब्यौहारी द्वारा संगत वर्ष में कुल रू० 31,80,41,794.00 की खरीद प्रान्त के बाहर से की गयी है। इसके अतिरिक्त रू० 29,49,94,249.00 का माल प्रान्त बाहर से जॉबवर्क का कार्य कराने के उपरान्त प्राप्त किया गया है। ब्यौहारी द्वारा उक्त प्राप्त माल पूर्व में प्रान्त से बाहर जॉबवर्क हेतु भेजा गया था। जो कि पूर्व में ही अपनी खरीद में सम्मिलित कर लिया गया है जिसके साक्ष्य स्वरूप व्यापारी द्वारा दाखिल वाउचर्स की छायाप्रतियाँ सम्प्रेक्षा दल को उपलब्ध करायी जा रही हैं।

ईकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समर्थित वाउचरों में प्रान्त से बाहर जॉबवर्क हेतु धनराशि रु0 29,49,94,249.00 का भेजा गया था, जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयात घोषणा पत्रों से प्राप्त होना बताया गया है।

अतः आपत्तिगत धनराशि रु0 29,49,94,249.00 जो जॉबवर्क की प्राप्त होना प्रदर्शित है तथा खरीद होना सम्मिलित नहीं है पर रु0 29.50 लाख कर के अनारोपण का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 'ब'**प्रस्तर- 4 : कर का ज्यादा लाभ ₹ 7.84 लाख ।**

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.)3, राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि व्यौहारी सर्वश्री बृज सेल्स कार्पोरेशन, देहरादून (टिन: 05000686203), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 29.02.2020 को उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम - 2005 की धारा 25(7) के अन्तर्गत किया गया था।

पत्रावली की जाँच में पाया गया कि कर निर्धारण आदेश में व्यापारी को चालानों के माध्यम से जमा कर ₹ 75,01,122.00 जमा का लाभ दिया गया था। परन्तु, उक्त जमा से संबन्धित चालानों की जाँच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा केवल ₹ 6716779.00 कर ही जमा किया था। इस प्रकार व्यापारी को ₹ 784343.00 (₹ 75,01,122 - 6716779) का अधिक लाभ देने उपरान्त राशि ₹ 741219.00 को आगामी वर्ष हेतु अग्रसारित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अधिनियम की धारा-30 के अन्तर्गत लेखापरीक्षा उपरान्त मूल कर निर्धारण में संशोधन करते हुये अधिक दिये गए लाभ को समायोजित करते हुये ₹ 43,124.00 की माँग सृजित की गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा व्यापारी के आगामी वर्ष के कर-निर्धारण आदेश अथवा आवर्त की विवरणी उपलब्ध कराने पर इकाई द्वारा उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः यह जात करना सम्भव नहीं है कि आगामी वर्ष हेतु अग्रसारित धनराशि ₹ 741219.00 का लाभ व्यापारी द्वारा नहीं लिया गया।

अतः अधिक लाभ ₹ 784343.00 दिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-5 : अर्थदण्ड का अनारोपण ` 6.99 लाख।

उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर नियमावली 2005 के नियम-11 में दिनांक 26.03.2014 से यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यापारी जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में सकल आवर्त ` 50 लाख से अधिक है, उसे अगले माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है एवं जिसका सकल आवर्त ` 50 लाख तक है, उसे अगले त्रैमास के प्रथम माह की 20 तारीख तक देय कर का भुगतान करना है। दिनांक 26.03.2014 से पूर्व, उपरोक्त वर्णित व्यापारियों के लिए देय कर के भुगतान की तिथि अगले माह/त्रैमास की 25 तारीख थी। उत्तराखंड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अंतर्गत यदि किसी व्यौहारी ने युक्तियुक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबंधों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर राजकोष में जमा नहीं किया है तो वह अर्थदण्ड के रूप में देय कर का कम से कम 10% किन्तु अधिक से अधिक 25% यदि कर 10 हजार रूपए तक हो और देय कर का 50% यदि कर 10 हजार रूपए से अधिक हो, का दायी होगा (दिनांक 31.03.2015 से पूर्व)

(i) यदि विलंब 01 माह तक हो तो देय कर का 5% का दायी होगा। (दिनांक 31.03.2015 से)

(ii) यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रु0 20 हजार रूपए तक हो तो वह देय कर का कम से कम 10% एवं अधिक से अधिक 20% और यदि विलंब 01 माह से अधिक हो एवं देय कर रूपए 20 हजार रूपए से अधिक हो तो वह देय कर का कम से कम 20% एवं अधिक से अधिक 30% का दायी होगा। (दिनांक 31.03.2015 से)

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-3 राज्य कर देहरादून की नमूना लेखा परीक्षा जाँच मे आठ व्यौहारी द्वारा देयकर युक्तियुक्त कारण के बिना अनुमन्य समय के भीतर अपना स्वीकृत कर जमा नहीं किया था –

क्रम सं०	व्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	कर अवधि	कर की राशि (₹)	जमा करने की निर्धारित तिथि	जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	न्यूनतम अर्थदण्ड (कर का 5%)
1	Shivam Traders (TIN 05000768362)	2016-17	9/2016	170500	20/10/2016	25/5/2016	5days	8525
			12/2016	142050	20/1/2017	23/1/2017	3days	7102
			3/2017	170250	20/4/2017	25/4/2017	5days	8512
2	M/S Sai Medicine Agencies (Tin.05000758371)	2016-17	4/2017	36270 (20%)	20/4/2017	22/5/2017	32 days	7254
	-	2016-17	Q-1	20520	20/7/2017	12/8/2017	22days	1026
3	M/S shanty Enterprises Tin.055000765355	2016-17	5/2016	182334	20.6.2016	21.6.2016	1days	9116
			8/2016	24520	20.9.2016	22.9.2016	2 days	1226
			1/2017	3533	20.2.2017	2.5.2017	42 days	353
			2/2017	766940	20.3.2017	20.5.2017	60days	153388
			2/2017	368670	20.3.2017	21.5.2017	61days	73734
4	Haharaja Enterprises (TIN 05006204242)	2016-17	Q-1	48850	20/7/2016	30/7/2016	10days	2442
			Q-2	12310	20/10/2016	28/7/2016	8days	615
			Q-4	163250	20/4/2017	25/4/2017	5days	8162
5	M/S Avni Traders Tin.05014749360	2016-17	Q-1	127500	20/5/2016 20/6/2016 20/7/2016	4/8/2016	15	25500
			Q-2	208080	20/8/2016 20/9/2016/ 20/10/2016	8/11/2016	19	41616
			Q-3	315200	20/11/2016 20/12/2016 20/1/2017	13/1/2017	24	63040
			Q4	415250	20/2/2017 20/3/2017 20/4/2017	24/4/2017	04	83050
6	M/S Juyal and Associates (Tin No.05016447636) 2016-17	2016-17	3/2017	1188587	20/4/2017	24/4/2017	4 days	9429
			2/2017	651924	20/3/2017	24/4/2017	4days	32596

			8/2016	535123	20/9/2016	21/11/2017	1days	26756
			5/2016	637382	20/5/2016	21/5/2016	1days	31869
7	M/S kanak Raj Associate Tin no. .055005687717		5/2016	257720	20/6/2016	21/6/2016	I days	12886
			9/2016	140309	20/10/2016	30/12/2016	40 days	28061
			8/2016	137344	20/8/2016	30/12/2016	130 days	27468
			7/2016	112541	20/8/2016	30/12/2016	130 days	22508
8	M/S Northern India Drugs Tin No.0500739262	2016-17	Q-2	32950	20/10/2016	24/10/2016	4 days	1647
			Q-2	27890	20/10/2016	20/10/2016	4days	1394
			7/2016	18583	20/8/2016	23/8/2016	3 days	929
			10/2016	29900	20/11/2016	24/2/2017	4days	1495
			10/2016	13700	20/11/2016	24/11/2016	4days	685
			Q-1	37226	20/7/2016	20/2/2017	210 days	7445
Total								699829/

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त बिन्दु के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा विभिन्न वादों में विलंब से जमा कर जमा करने संबंधित फैसले में भी यह माना गया है कि यदि व्यापारी द्वारा विलम्ब से जमा कर एवं उस पर देय ब्याज जमा है तो उस पर अर्थदण्ड का आरोपण किया जाना अनुचित है, इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा किया गया है एवं उपरोक्त फ़र्मों द्वारा कोई भी ब्याज की धनराशि जमा नहीं किया गया है,

अतः विलंब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹ 6.99/- लाख का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 "ब"

प्रस्तर- 6: आईटीसी रिवर्स न किया जाना ₹ 2.15 एवं अर्थदण्ड ₹ 6.45 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 6(15)(ग) के अनुसार क्रेता द्वारा माल वापिस करने अथवा अस्वीकृत करने के मामले में, विक्रेता व्यौहारी द्वारा क्रेता को इस आशय का एक जमा-पत्र (credit note) जारी किया जायेगा और क्रेता द्वारा विक्रेता व्यौहारी को एक नाम-पत्र (debit note) जारी किया जायेगा।

अधिनियम की धारा-6(8)(झ) के अनुसार: माल जो चोरी हो गया है या नष्ट हो गया है पर इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। धारा-58 (1)(XI) के अनुसार: यदि कोई व्यौहारी इनपुट टैक्स के लाभ के रूप में किसी धनराशि का गलत दावा करता है तो बिन्दु (च) के अनुसार पाँच हजार रुपये या दावाकृत धनराशि के तीन गुणा धनराशि जो भी अधिक हो के अर्थदण्ड का दायी होगा।

कार्यालय उपायुक्त (क.नि.), राज्य कर, देहरादून की लेखापरीक्षा में कर-निर्धारण वादों की नमूना जाँच में पाया गया कि-

(i) व्यौहारी सर्वश्री दुर्गा मिनरल्स एण्ड कैमिकल्स, कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 14.01.2020 को किया गया था। व्यौहारी का व्यापार सीमेंट आदि की खरीद बिक्री का है। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा पर्चेज सूची के अनुसार ₹ 3,80,14,783/- की खरीद की गयी थी जबकि, कर निर्धारण आदेश में खरीद ₹ 3,51,38,867/- ही प्रदर्शित करते हुये कर-निर्धारण किया गया था ।

अतः व्यापारी द्वारा अंतरीय खरीद ₹ 28,75,916/- के माल को व्यापारी द्वारा विक्रय मानते हुये 14.5% की दर से ₹ 4,17,008/- का कर आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि अंतरीय धनराशि ₹ 28,75,916.00 में आईटीसी की धनराशि ₹ 11,94,464.00 एवं डेबिट नोट्स की धनराशि ₹ 16,81,452.00 है जो खरीद का पार्ट नहीं है।

इकाई द्वारा साक्ष्य स्वरूप उक्त अवधि से संबन्धित प्रस्तुत किए गए 24 क्रेडिट नोट्स की जाँच में व्यौहारी द्वारा 13.5% की दर से ₹ 5,04,942.73 एवं 14.5% की दर से ₹ 12,42,320.88 की माल वापसी की जानी पायी गयी। अतः व्यापारी की शुद्ध खरीद एवं देय आईटीसी की स्थिति निम्नवत होगी:

Purchase 13.5%	Purchase Return	Net Purchase	ITC	Total ITC	ITC claimed	Difference
17474307.95	504942.73	16969365.22	2290864.30	4915899	4923103	-7204
Purchase 14.5%	Purchase Return	Net Purchase	ITC			
19346010.38	1242320.88	18103689.50	2625034.98			

अतः उपरोक्तानुसार व्यौहारी द्वारा राशि ₹ 7204.00 का आईटीसी का अधिक लाभ लिया गया था जो कि रिवर्स किए जाने योग्य था। इसके अतिरिक्त व्यापारी पर नियमानुसार धनराशि ₹ 21612/- अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित किया जाना था जो कि नहीं किया गया था।

(ii) व्यौहारी सर्वश्री मनोज नवानी, नेहरू कॉलोनी (टिन: 05012567151), कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 16.01.2020 को किया गया था। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा ₹ 82060.00 क्रीम की खरीद की गयी थी। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में ₹ 31035.00 की बिक्री की गयी थी एवं अन्तिम स्टॉक शून्य दर्शाया गया था। व्यापारी द्वारा उक्त खरीद पर ₹ 11898.00 का आईटीसी क्लेम किया था। व्यापारी द्वारा ₹ 31035.00 की बिक्री पर ₹ 4500.00 कर अदा किया गया था।

व्यापारी द्वारा कम बिक्री ₹ 51025.00 किए जाने को इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि व्यापारी का उक्त माल खराब हो जाने के कारण बिक्री नहीं की जा सकी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार उक्त खराब माल की बिक्री न किए जाने पर आईटीसी रिवर्स किया जाना था जो कि नहीं किया गया था। इस प्रकार ₹ 51025.00 पर 14.5% की दर से ₹ 7399.00 आईटीसी रिवर्स किया जाना था जो कि नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त नियमानुसार ₹ 22197.00 अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

(iii) व्यापारी सर्वश्री इग हाउस, देहरादून (टिन: 05008409731) कर निर्धारण वर्ष 2016-17 का कर निर्धारण दिनांक 17.01.2020 को किया गया था। व्यापारी की कर निर्धारण पत्रावली की जांच में पाया गया कि संगत वर्ष में व्यापारी द्वारा प्रांतीय खरीद पर ₹ 2.00 लाख का आईटीसी लाभ लिया गया था। परन्तु, जांच में पाया गया कि उक्त प्रांतीय खरीद में जिन फ़र्मों से खरीद दर्शायी गयी थी उनमें व्यापारी द्वारा अपने फ़र्म की ही टिन संख्या अंकित की गयी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में कहा गया कि संशोधित क्रय सूची सही टिन संख्या अंकित करते हुये उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः व्यापारी द्वारा अन्य फ़र्मों

से किए गए क्रय पर स्वयं की टिन संख्या अंकित कर लिया गया आईटीसी ₹ 2.00 लाख का लाभ रिवर्स किए जाने योग्य है। जिस पर नियमानुसार अर्थदण्ड ₹ 6.00 लाख भी अधिरोपित किया जायेगा।

अतः आईटीसी ₹ 2.00 लाख रिवर्स न किए जाने एवं ₹ 6.00 लाख अर्थदण्ड आरोपित न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाये जाते हैं।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तारों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
2011-12	01	-	-
2012-13	02	-	01
2013-14	01	01,03	-
2014-15	-	02,03,04	-
2015-16	-	01,02,03	01,02,03,04
2016-17	01	01,02,03,04,5	-
45/2017-18	01,02,03	0101,02,03,04,05,06	01
89/2018-19	-	01,02,03	-
RS/CT-78/2019-20	01,02	01,02,	-

भाग-IV**इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-3, राज्य कर, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य

2. सतत् अनियमितताएः

टिप्पणी-

1. वापसी वार्दों की सूची लेखापरीक्षा उपरान्त प्रस्तुत की गई।
2. विगत वर्षों के प्रस्तरों की अनुपाल आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	नीलम ध्यानी	उपायुक्त

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.-IV